SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Madam, I would also like to associate myself with it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): Thank you very much. Now, we will take up the discussion on the working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development. Shri Mangani Lal Mandal is to initiate the debate.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRIES OF PANCHAYATI RAJ AND RURAL DEVELOPMENT

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Madam, may I just make a remark? I understand that this morning it was pointed out that the Annual Report of the Ministry of Panchayati Raj was not available at the Publications counter. I would like to tender an unqualified apology to the Chair and to the House for the non-availability of this Annual Report. It has been submitted to the printers, and we are hoping to get it very soon. But that is no excuse. It is entirely my fault that we do not have the Report to share with hon. Members when we commence this debate. If on account of that, they would wish not to discuss the working of the Ministry of Panchayati Raj, I should bow to the will of the House. But if they are prepared to discuss the working of this Ministry, even in the absence of the Annual Report, I would be extremely grateful to them and to the House. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): I hope the House will agree with this.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Yes; Madam.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदया, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने ठीक बात कही है। अगर रिपोर्ट ही नहीं है, उस रिपोर्ट को माननीय सदस्य देख ही नहीं पाएंगे तो चर्चा क्या करेंगे? इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी की बात पर विचार करके चर्चा को postpone किया जाए।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra) : Madam, the Business Advisory Committee had very advisedly put the discussion on the two Ministries together because the Panchayati Raj and Rural Development Ministries are closely related. Since one of the Reports is not available, I had

myself suggested, in my letter, that the discussion on both the Ministries be postponed.

SHRI SURENDRA LATH (Orissa) : Madam, we agree with the hon. Member.

SHRI V. NARAYANASWAMY: Madam, I would like to make a submission. The hon. Minister has submitted in this august House how things had happened and wanted the House to make a decision. Everybody wanted a discussion on the working of the Rural Development Ministry and because Panchayati Raj is also a part of that, we wanted it to be discussed too. Now, Madam, concern has been shown and, to be frank, I request the House to take up the discussion on the Ministry of Rural Development because a lot of schemes are being implemented through the Ministry of Rural Development and the country should know about them. Also, we would like to know the hon. Minister's response. Hon. Members can start the discussion on the working of the Panchayati Raj Ministry now and the hon. Minister could respond on Monday. By that time, if the Report comes, some other Members may also speak. Just for not submitting the Report, the proceedings of the House should not be disturbed.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : अगर रिपोर्ट नहीं होगी, तो बोला क्या जाएगा?

SHRI V. NARAYANASAMY: We can discuss. What is there?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, we can take it up for discussion now. The Minister could give his reply on Monday. We can discuss it today itself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): The hon. Minister has said that if the Members are prepared, they can discuss the subject and majority of the Members are ready. So, we will take it up.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ने अपनी जो व्यथा यहां व्यक्त की है, उसके बारे में अखबारों में भी हमने कई बार देखा था कि पंचायत मंत्रालय को अलग कर दिया गया और अब उसका अस्तित्व स्वतंत्र है, लेकिन कई बार यह बात आई कि जो इनके मंत्रालय की आधारभूत संरचना होनी चाहिए, उसके लिए माननीय पंचायती राज्य मंत्री को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और अभी भी उन्हें प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जितनी स्ट्रैंथ होनी चाहिए मिनिस्ट्री की, पंचायत राज मंत्रालय की, संभवतः अभी तक वह स्ट्रैंथ नहीं हो सकी है। मैं समझता हूं कि जब इस पर चर्चा हो रही है और जो इनकी वार्षिक प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने स्वयं इसके लिए अपनी भावना यहां रखी है,

लेकिन मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से भी यह कहना चाहूंगा कि जब संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन किया गया और पंचायत को एक संवैधानिक स्थान दिया गया, संस्थागत रूप दिया गया और इसी उद्देश्य से केंद्र में भी और कई राज्यों में भी पंचायत मंत्रालय को अलग किया गया है और इसी उद्देश्य से यहां भी पृथक किया गया है।

महोदया, यह इतना महत्वपूर्ण महकमा है कि महात्मा गांधी की एक उक्ति का यहां उल्लेख मैं करना चाहूंगा। Louis Fischer एक महान पत्रकार थे, विदेशी थे, संभवतः अमेरिकन थे। Louis Fischer को हम सब लोग जानते हैं। जो लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन को जानते हैं, वे Louis Fischer को जानते होंगे। Louis Fischer ने कई किताबें लिखी हैं, स्टालिन पर लिखी है, लेनिन पर लिखी है और उन्होंने महात्मा गांधी पर भी किताब लिखी है। साबरमती आश्रम में एक दिन Louis Fischer ने बापू से पूछा कि बापू, यह बताओ कि अगर आपके देश में सुराज होगा, तो आपकी कैसी व्यवस्था होगी? आज़ाद भारत की संरचना कैसी होगी? शासन-व्यवस्था की संरचना कैसी होगी? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा, तो उसमें 7 लाख विलेज रिपब्लिक होंगे यानी 7 लाख ग्रामीण गणराज्य होंगे। अब Louis Fischer चकराया कि अभी देश को एक करना है, कई रियासतें हैं, देश कई टुकड़ों में बंटा है, आज़ादी के बाद लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और महात्मा गांधी एक इंडियन रिपब्लिक के स्थान पर 7 लाख विलेज रिपब्लिक की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश तब एक था। संभवतः 7 लाख रेवेन्यू विलेज रहे होंगे, राजस्व गांव रहे होंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा सपना है कि एक पंचायत, एक गांव, एक गणराज्य बने, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन-व्यवस्था चलाई जाए। और मानव की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था हो, साथ ही किसानों के लिए जो मंडी है, जो विपणन की व्यवस्था है, मार्केटिंग की व्यवस्था है, वह Village Republic ही इसकी व्यवस्था करे, यह सपना महात्मा गांधी जी का था, लेकिन यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 1985 में इसी सपने को ध्यान में रखकर, DRDA का गठन किया गया था और यह कहा गया था कि बहुत सारी योजनाओं को बैंकों से जोड़कर, गांवों में स्वावलंबन की योजनाएं चलाई जाएंगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी मिटेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले एक बार पंचायत का चुनाव होता था, तो फिर अगले 10 सालों तक कोई चुनाव नहीं होता था, मुखिया जी लगातार बने रहते थे, पंचायत के लोग बने रहते थे, इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। संविधान में 73वां संशोधन हुआ, फिर 74वां संशोधन हुआ, लेकिन पंचायत में अभी भी जो महात्मा गांधी का concept है Village Republic का, वह धरातल पर नहीं उतरा है। मैंने देखा है और कई अखबारों में पहले भी मैंने गौर से पढ़ा है कि माननीय मंत्री जी ने सभी राज्यों के पंचायत मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था, जिसको गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया था। मुझे यहां तक स्मरण है कि पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 175 बिंदुओं पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके ऊपर एक सहमति बनी थी। अब उस सहमति के आधार पर कितने राज्यों के द्वारा कार्यान्वयन हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी के बारे में मेरी धारणा बहुत ऊंची है, ये बहुत तेजस्वी मंत्री हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इस मंत्रालय को मजबूती देंगे और इसे नीचे तक सुदृढ़ करेंगे और जो महात्मा गांधी का सपना है, उसे अवश्य पूरा करेंगे। मेरा इनसे आग्रह है कि मैंने जो जिज्ञासा की है, इसके बारे में ये बताएं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, कुछ राज्यों को छोड़कर,

बाकी राज्यों में जो District Planning Committee बननी थीं, उनका गठन नहीं हुआ है और महात्मा गांधी का नीचे के स्तर तक जो चौखंभा राज्य का सपना था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और गांव के स्तर से लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, वह नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं अफसरों को यह बुरा लगता है और आज भी जिले के जो कलक्टर हैं, उनकी यह प्रवृत्ति रहती है कि पंचायत के चुने हुए लोगों पर उनकी धौंस चले, जिला परिषद पर उनकी धौंस चले।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसके साथ ही मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। नीचे के स्तर पर जो DRDA है, जिसका अध्यक्ष इन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष को बना दिया, बड़ा अच्छा काम किया, अब नीचे तक के कार्य का बंटवारा Rural Development में कितना होगा, ग्राम पंचायत में कितना होगा, यह जो बंटवारा है, वर्गीकरण है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह जो गरीबी और बेकारी मिटाने की बात है, यह पंचायती राज मंत्रालय के जिम्मे भी है, क्योंकि यह एक सपना है कि सामाजिक क्षेत्र में कार्यवाही हो, सिर्फ सत्ता में ही भागीदारी न हो, सामाजिक क्षेत्र में भी कार्यवाही हो।

महोदया, रघुवंश बाबू बहुत ज्यादा शौचालय की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, मैं जब मंत्री था, तो मैंने एक Fishery College के Principal को Institutional Finance Department में अपना advisor बनाया हुआ था। संयोग से सरकार ने उनको चीन भेजा। वे मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ Fishery Sector की जानकारी लाने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, आप चीन के अधिकारियों को कहेंगे कि आप हमको गांव ले चलिए और गांवों की क्या स्थिति है, कैसे आपने विकास किया है, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। हो सकता है कि चीन के अधिकारियों ने किसी model village को दिखाया हो, जब वे लौटकर आए, तो उन्होंने हमको बताया कि उस गांव में शिक्षा शत-प्रतिशत थी, वहां टी.वी. था, रेडियो था, सड़क थी, बिजली थी, गांव में ही 5-10 मैगावाट का छोटा पावर-हाउस था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहां तो open latrine है। सारे देश में बीमारियाँ आती हैं। चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, सब जगह एक ही स्थिति है। चीन ने एक व्यवस्था की थी कि जो मानवीय मल है, उसे उसने फिशरीज़ से जोड़ दिया। जो गाँव बने थे, उनमें पंचायत व्यवस्था, विलेज कम्युन के हाथों में उसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी। सभी गाँवों में वे जो सेप्टिक लैट्रिन बनाते हैं, उसे पाइप से, हर गाँव में 3-4 तालाब को उससे जोड़ दिया गया। हम लोग बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ भी पहले से कई तालाब हैं। जमींदारों के समय में लोगों को रोजगार देने के लिए तालाब खोदा जाता था, आज तक वहाँ फिशरीज़ के लिए काम है। किंतु चीन में गाँवों में 4-5-7 बड़े-बड़े तालाब बना दिए गए और शौचालय के सभी मल को पाइप के द्वारा उन तालाबों से जोड़ दिया गया। जो मल वहाँ जाता था, उसमें एक व्हील था, जो उस मल को तोड़ता था और फिशरीज़, मछलियाँ उसे खाती थीं। बड़ी-बड़ी मछलियों का ग्रोथ होता था। उन्होंने उसे दिखाया और कहा कि इससे मछलियों का व्यापार बहुत बढ़ा है। इससे ओपन लैट्रिन की व्यवस्था खत्म हो गई कि मल को कहाँ प्रयोग किया जाए। उस तालाब में जो गाद बैठता था, उस गाद को डि-वॉटरिंग करके फिर खेत में खाद को डाल दिया जाता था। यह सारा काम पंचायती व्यवस्था में हुआ। अब इस सपने को पंचायती राज मंत्रालय साकार करे या यह रघुवंश बाबू की चिन्ता है, इसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर कहा। अब चीन के ...**(व्यवधान)**...

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मैडम, मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि कल ही चीन का एक बफद यहाँ हिन्दुस्तान आ रहा है, जिसमें उनके यहाँ जो इन लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधिगण हैं, वे हैं। उनके लिए मैं कल 8 नंबर, नेल्सन मंडेला मार्ग पर एक लंच दे रहा हूँ और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि चीन में किस तरह से पंचायती राज चल रहा है, यदि इससे आप अवगत होना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ कल भोजन करें।

श्री मंगनी लाल मंडल : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। चीन के मॉडल के बारे में अक्सर चर्चा होती है और हम लोग कहते हैं कि चीन की तरह हम विकास करेंगे और चीन के मॉडल को एडॉप्ट करेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि पंचायत का वहाँ कैसे विकास हुआ, इसकी उनसे अर्थात् चीनी प्रतिनिधि मंडल चर्चा करेंगे। लेकिन चीन ने एक सपना देखा है, एक लक्ष्य रखा है। 1970 में चीन में 200 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और अभी चीन में 30 मिलियन, सिर्फ 30 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हमारे यहाँ गरीबी रेखा का मापदण्ड एक डॉलर है, जबकि उनके यहाँ यह एक डॉलर से ज्यादा है। यह वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमारे यहां एक अमेरिकी डॉलर है। अभी उन्होंने 2004-10 की एक योजना की घोषणा की है। उसमें उन्होंने दो बातों के लिए संकल्प किया है। एक संकल्प यह किया है कि जो 30 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 2010 तक उस गरीबी रेखा को शत-प्रतिशत समाप्त कर देना है, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर ले आना है। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि 2010 तक, नहीं तो 2004 से 9 वर्षों में जितने लोग निरक्षर हैं, इल्लिट्रेट हैं, उनके लिए एक अभियान चला कर नीडी पर्संस को लिट्रेट करना है। उन्होंने यह लक्ष्य रखा है। यह सिर्फ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस लक्ष्य को पाने के लिए वित्त मंत्रालय पर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर जोर तो डाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मंत्रालयों की भी यह जिम्मेदारी है। चूँकि माननीय मंत्री जी ने यह बात कही है, इसलिए मैंने इनकी चर्चा की है।

महोदया, मैं पंचायती राज विभाग और रूरल डेवलपमेंट विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अभी यह सिर्फ एक सरकारी योजना है। जैसे भारत निर्माण योजना में करीब 18 हजार करोड़ रुपए का प्रोविज़न है। हम सरकारी राशि की बात करते हैं, जो सरकार बजट के द्वारा देती है, लेकिन बैंकों में अकूत राशि जमा है। करीब 20 लाख हजार करोड़ रुपया सारे देश में है। उस पैसे को खर्च करने की एक व्यवस्था है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय इसका इस्तेमाल करने के लिए योजना बना सकता है। यह एक क्रेडिट प्लान है। क्रेडिट प्लान जिला स्तर पर बनता है और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, राज्य स्तरों पर भी होती है। एस0एल0बी0सी0 का एक कनवीनर बैंक होता है और उस में उस सरकारी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जाते हैं। राज्यों के लिए स्टेट क्रेडिट प्लान होता है और वह कलैक्टर, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को चैयर करता है। यह किस विभाग से होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर मणि शंकर बाबू का विभाग होगा, तो मैं उन से भी अनुरोध करूंगा, नहीं तो रघुवंश बाबू से करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चैयरमेन को डी0आर0डी0ए0 का चैयरमेन बनाया गया, यह अच्छा काम किया। यह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमेटी है, जो डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से आप के जितने

कार्यक्रम होते हैं, उस का चैयरमेन अभी कलैक्टर होता है। आप को उस का जिम्मा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चैयरमेन को देना चाहिए और यह अनिवार्य व्यवस्था करनी चाहिए कि हर तीन महीने पर इस की बैठक अनिवार्य रूप से हो। अभी होता क्या है कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्षेत्रवार व्यवस्था है कि ब्लॉक लेवल पर जो ब्लॉक लेवल कंसल्टेटिव कमेटी है, उस के अध्यक्ष बी0डी0ओ0 होते हैं, लेकिन बी0डी0ओ0 को कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उस को बैंकिंग और गांव के बारे में अधिक जानकारी नहीं रहती है। अब जो पोटेंसियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान है, सरकार को उस में पैसा नहीं देना है। आप ने मणि शंकर बाबू पहले 1985 में इसी उद्देश्य से डी0आर0डी0ए0 का गठन किया था और आई0आर0डी0पी0 कार्यक्रम चला था। हम अभी तक इसी आई0आर0डी0पी0 कार्यक्रम से ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम तक चले आए हैं। इस विषय में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। गरीबी कम हुई है एक प्रतिशत के हिसाब से और बढ़ी है उस से ज्यादा। तो महोदया, मैं इस सेक्टर पर इसलिए जोर देता हूं कि पंचायत मंत्रालय को इस की एक्सरसाइज करा लेनी चाहिए। साथ ही बी0एल0सी0सी0 का जो अध्यक्ष बी0डी0ओ0 होता है, उसे जो पंचायत समिति के माध्यम से हमारा इलेक्टेड प्रमुख होता है, वह चैयर करेगा। उस में हमारे ब्लॉक का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, विलेज का है, जिस को महात्मा गांधी ने "विलेज रिपब्लिक" में कहा कि मार्केटिंग की विपणन की व्यवस्था हो। अब यह कैसे हो सकता है? हमारे फिशरी सेक्टर में, हॉर्टीकल्चर सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर में फॉर्म सेक्टर में, नॉन-फॉर्म सेक्टर में, फॉर्म मैकेनाइजेशन में ब्लॉक लेवल पर क्या-क्या हो सकता है, वह आप का बी0एल0सी0सी0 का जो चैयरमेन होगा, चुना हुआ प्रतिनिधि अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होगा, तो आसानी से नीचे कार्यक्रम तैयार होकर जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला साख योजना है, जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है, वह गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए, स्वावलंबन के लिए उस का बड़ा भारी योगदान होगा। यह मैं दोनों माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा। अब यह किस विभाग से होगा, यह मैं नहीं कह सकता।

एक बात, मैं मणि शंकर बाबू से और रघुवंश बाबू आप से भी कहना चाहूंगा। आज सेल्फ हैल्प ग्रुप का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यह सेल्फ हैल्प ग्रुप बड़ी अच्छी चीज है। बांग्लादेश ने बता दिया कि आर0आर0बी0 क्या होता है और सेल्फ हैल्प ग्रुप क्या होता है। हर साल वर्ल्ड बैंक के रिप्रजेंटेटिव और एशियन डवलपमेंट बैंक के रिप्रजेंटेटिव बांग्लादेश रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। तो सेल्फ हैल्प ग्रुप को अभी आप ने डी0आर0डी0ओ0 के अधीन किया था और कुछ बैंकों को आप ने जिम्मा देने की बात की है। अभी दिया नहीं है, लेकिन "नाबार्ड" को कुछ टार्गेट दिया गया है। महोदया, मैं दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सेल्फ हैल्प ग्रुप को पंचायती व्यवस्था में आप अनिवार्य बनाइए और मुखिया को प्रशिक्षण देकर और जिला परिषद के सदस्य हैं और जो चुने हुए सभी स्तर के प्रतिनिधि हैं, उन को यह प्रशिक्षण दीजिए। यह सेल्फ हैल्प ग्रुप कैसे चले, आप पंचायत और जिला परिषद को एक टार्गेट दीजिए कि आप को इतना कार्य करना है ताकि सेल्फ हैल्प ग्रुप तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होकर गरीबी दूर हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): Mandalji, your party had seven minutes. You have already taken fourteen minutes.

श्री मंगनी लाल मंडल : हम को तो इनीशिएट करने को कहा गया है, तो हम को 10 मिनट तो देंगे आप?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): But you have taken fourteen minutes. (Interruptions) Okay. Please conclude.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, this is very constructive contribution.

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदया, इसलिए मेरा सुझाव था कि अगर इस बिंदु पर कानून बनाना हो तो कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस के साथ ही मैं एक बात यह भी कहूंगा कि यह जो आर0आर0बी0 है का जो सर्विस एरिया है और बैंकों का जो सर्विस एरिया है, कुछ सेक्टर में लागू करने के लिए सभी बैंकों का सर्विस एरिया बड़ा-बड़ा है। तो आपको पंचायत के आधार पर सर्विस एरिया को छोटा करना चाहिए। यह काम पंचायत राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को आपस में बात करके करना चाहिए कि अगर गाँवों में पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पंचायत के अधीन कानून बनाकर कीजिए। जिस प्रकार आप हर योजना में पंचायत को 30 परसेंट पैसा देते हैं और जिला परिषद कितना खर्च करेगा और पंचायत समिति कितना खर्च करेगी, यह जो आप ईयर मार्क करते हैं, वैसे ही आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ईयर मार्क कीजिए।

महोदया, एक बात और है कि गरीबी नहीं मिटी। महात्मा गांधी ने भी गरीबी के बारे में कहा है। मैंने अभी महात्मा गांधी की बातों की चर्चा की है। मैं महात्मा गांधी और लोहिया जी को पढ़ कर राजनीति में आया हूं, इसीलिए मैं महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानता हूँ। हो सकता है कि बहुत-से लोग इस बात से सहमत नहीं हों। लेकिन महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, हमने उस रूप में महात्मा गांधी को प्रतिष्ठित नहीं किया। लोगों ने माओ-त्से-तुंग को, मार्क्स को प्रतिष्ठित कर दिया, इसलिए माओ-त्से-तुंग और कार्ल मार्क्स बड़े हो गए, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में एक भ्रम बना रहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? मैंने विलेज रिपब्लिक का उनके कंसेप्ट के बारे में उल्लेख किया। जब तक जमींदारों को आजादी आन्दोलन में शामिल करना था तब तक बापू ने खेतिहरों के बारे में चर्चा नहीं की। क्योंकि महात्मा गांधी बड़े मदारी थे। आजादी आन्दोलन में जब जमींदार शामिल हो गए, तब लुई फिशर ने महात्मा गांधी से पूछा कि जमीन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोतेगा, जमीन उसकी होगी। महात्मा गांधी ने फिर आजाद इंडिया में पॉवर्टी के बारे में कहा कि "poverty is the worst form of violence." यह महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी के सपने का भारत कैसे बनेगा, महोदया?

अभी वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार दोनों में बड़ा मतान्तर है। मतान्तर इस बात का है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं। वर्ल्ड बैंक 36 प्रतिशत कहता है। भारत सरकार कहती है कि 2000 ई0 के बाद का जो एन0एस0एस0ओ0 है, उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए अभी कोई भी आंकड़ा विश्वसनीय नहीं है और जब सर्वेक्षण होगा, तब हमारा आंकड़ा विश्वसनीय होगा। लेकिन महोदया, अगर हम उसी को मान लें, तो हमने बजट पर जो उल्लेख किया था, वह नहीं कहेंगे। 1999-2000 तक भारत सरकार का कहना है कि 26 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और कई राज्यों की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन महोदया, यह

ऑक्सफोर्ड का सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसका मैं यहां कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने क्या चिन्ता व्यक्त की है.. "India has made a substantial progress in the reduction of poverty. Yet, as many as 260 million persons are living below the poverty line." चीन में 1970 में यह 200 मिलियन था, लेकिन अभी 30 मिलियन है और कहा है कि चीन में 2010 तक इसको जीरो कर देना है। हमारे यहाँ अभी 260 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, लेकिन हम क्या कार्यक्रम बना रहे हैं? सरकार ने अभी तक यह नहीं कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का क्या लक्ष्य होगा। भारत सरकार ने यह घोषणा नहीं की है कि हम किस वर्ष तक गरीबी मिटा देंगे, निर्मूल कर देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन को जीरो कर देंगे।

आगे क्या कहा है: "According to the UNDP's Human Development Project, 2003, India has the largest number of poor among the countries of the world and is home to one-fourth of the world's poor. A large number of hard core poor are located in remote and inaccessible areas. The problem of poverty alleviation is going to be far more difficult than in the past, since those who were near the poverty line might have crossed it." रिपोर्ट में यह कहा गया है। इसने भारत सरकार के आंकड़ों को कोट किया है और किसी दूसरे के आँकड़ों को नहीं। महोदया, दूसरे राज्यों के बारे में कहा है कि हर जगह अलग-अलग स्थिति है। कुछ राज्यों में अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति बहुत भयावह है। उड़ीसा में 47 प्रतिशत है। हमारा नेशनल एवरेज 26 है। बिहार दूसरे नम्बर पर है, लेकिन 5-7 स्टेट्स और हैं, जिनके बारे में कहा है कि "The regional differences in poverty reduction are substantial. The decline between 1973-74 and 1999-2000 in states' incidence of poverty in rural areas ranged between 12-50 percentage points during 1973-2000 and 20-40 percentage points in urban areas. The interstate variations in the rural poverty reduction during 1957-90 has been attributed to the variations in their agricultural productivity improvement. In addition, variations in initial endowments of physical infrastructure and human resources contributed to the interstate variations in the performance. States such as Andhra Pradesh, Kerala, and West Bengal, which had a higher rural poverty ratio in the first phase, had lower rural poverty ratios in the second phase. Andhra Pradesh, which had benefited from the Green Revolution, and Kerala and West Bengal, which had implemented land reforms experienced significant decline in the rural poverty ratio. Despite this, the rural poverty level was higher in West Bengal in 1999-2000 than that of all-India, due to the extremely high poverty level in West Bengal in the first phase."

महोदया, ऐसा कई स्टेट्स के बारे में कहा है, जो हमारी गरीबी है, वह बढ़ रही है। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, आर्थिक समीक्षा जो भारत सरकार की निकली है, वर्ष 1995-96 में जो पैसा खर्चा किया गया है, उसके बारे में इसमें ब्यौरा दिया गया है। मैंने कहा कि

वर्ष 1985 से आईआरडीपी लागू हुआ था, आरएलआईजीपी लागू हुआ था, फूड फोर वर्क तीसरी बार इस देश में लागू हुआ है। इस तरह कई रोजगार योजनाएं चलीं, जैसे सघन रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना और आज यह गारंटी रोजगार योजना पर हम चले आए हैं। अभी तक वर्ष 1995-96 की फिगर यह है, जैसा आर्थिक समीक्षा, 2005-06 में कहा गया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 1995-96 से अब तक 2,28,983 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यह भी सिर्फ सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के तहत हैं, लेकिन जब ये पैसे खर्च हुए हैं और जब समीक्षा की जाती है, रिव्यू किए जाते हैं, तो यह कभी नहीं कहते कि ये 2,28,983 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए हैं उससे कितने परसेंट गरीबी मिटी है या कितने परसेंट निरक्षरता मिटी है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर यह बताया गया है कि ऑल इंडिया इलिटरेसी का रेट 65 परसेंट है। यह अलग है कि जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वेरिएशन है, वैसे ही साक्षरता में भी वेरिएशन है।

महोदया, यह जो स्थिति है, इस स्थिति में जो यह ग्रामीण रोजगार नियोजन गारंटी प्रोग्राम लागू किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे गरीबी मिटेगी? इस ओर हमारा ध्यान जाना है। उस दिन वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, जिस दिन मैं बजट पर बोल रहा था और मैंने उनको याद दिलाया था, स्मरण दिलाया था, जब उन्होंने कहा कि आपने यह नियोजन गारंटी कार्यक्रम लागू किया है, तो मैंने पूछा था कि क्या इससे गरीबी मिटेगी? उन्होंने कहा था कि इससे गरीबी तो नहीं मिटेगी, भूख मिटेगी। अखबारों में भी उनका ऐसा बयान आया था। यह बात सही है कि इससे भूख मिटेगी। यह भूख और यह गरीबी तभी मिटेगी, जब यह जो पैसा जाएगा, जैसा मैंने कहा प्लान के माध्यम से जो पैसा जाएगा, उसके लिए ऐसा सिद्धांत होगा कि जो पैसा जा रहा है उससे मानव-दिवस सृजन के साथ-साथ परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो उसमें आमदनी, आय का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आय का निर्माण नहीं होगा, आप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए हम मानव-दिवस का सृजन करते हैं, उनकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी और जब क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो जगजाहिर है कि गरीबी नहीं मिटेगी? यह जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें स्वयं कहा गया है कि वर्ष 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्पलायमेंट का प्रतिशत 21.76 था, जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 26.58 हो गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार का एक दस्तावेज कह रहा है। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने और झोपड़ी में स्वराज की रोशनी पहुंचाने के लिए, जहां रोशनी नहीं गई थी, संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन हुआ। उस दिशा में पहल करें। रोशनी का क्या मतलब है? आदमी की पांच बुनियादी आवश्यकताएं हैं - रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा - इन पांच चीजों की गारंटी होनी चाहिए। इन पांच चीजों की गारंटी के लिए सरकार योजना बनाती है और ग्रामीण रोजगार के लिए सरकार पैसा देती रही है, लेकिन किस सीमा तक ये पांच चीजें प्राप्त हुईं और कितने गरीबी रेखा से नीचे के लोग इससे लाभान्वित हुए, इस बारे में किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में, मैंने दो-तीन वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण देखे हैं, किसी में भी सरकार ने यह नहीं कहा है कि इतना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन उसका परिणाम क्या आया है, उसका फल क्या हुआ है। महोदया, सरकार सिर्फ कारण का विश्लेषण करती है, परिणाम का विशलेषण नहीं करती। मैं दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा और मुझे मालूम है कि दोनों

मंत्रियों की यह चेष्टा है कि हमारे सामने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा किया जाए और रघुवंश बाबू जी को बैठे-बैठे मैं यदा-कदा देखता रहता हूं, उनकी चेष्टा होती है कि ग्रामीण इलाके में लोगों को पेयजल की सुविधा हो, वहां शौचालय की सुविधा हो, गांवों में रोशनी पहुंचे, बिजली पहुंचे, वहां सड़कें पहुंचें, वहां कनेक्टिविटी हो। ये सब सपने हैं, लेकिन सपने को साकार करने के लिए आपको कहीं न कहीं एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि कब तक इसकी पूर्ति होगी।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ, हालांकि आपने मुझे पहले ही कहा था कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय पर चल रही चर्चा में अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपने मुझको जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद देता हूं।

महोदया, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने आपको प्रारम्भ में धन्यवाद नहीं दिया, सदन ने आपको धन्यवाद दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने धन्यवाद का एक प्रस्ताव रखा, सभी ने उसका स्वागत किया। हमको भी बड़ी खुशी हुई है कि आप आज चेयर पर बैठी हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कि आप, एक सुयोग्य नारी, इस कुर्सी पर बैठी हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): Thank you Mr. Mandalji. Now, Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, Vice-Chairman, I am grateful to you for having given me this opportunity to speak on the very important subject of Rural Development and Panchayati Raj. Rural Development and Panchayati Raj is the lifeline of our country. In fact, it envisages economic emancipation of the down-trodden people and also social transformation. India is a welfare State where support is to be provided by the Government to the people who are living below the poverty line, the middle class, the lower middle class sections of the society, the Scheduled Caste community and also the other backward classes, especially people who are living in the rural areas. Madam, we have been talking in this Parliament and outside, either as Members of Parliament or as Ministers, that our heart goes to the people who are living in the villages. But, unfortunately, of late, we have seen that the thrust of the various Governments has been for the urban areas. Today, if you compare the rural areas with the urban areas, all facilities have been provided to the people living in the urban areas, whether it is education, health sector, protected water supply, electricity, roads, infrastructure development, railway system, transport facilities and so on and so forth. But if you go to the rural areas, people are not getting even the protected water supply. Roads in rural areas are very bad. If a person living in a city goes there, he will not like to stay for three or four days in a village. Apart from that, there is shortage of medical facilities for those poor

people. Education is available. Schools are open. But I am referring to quality education to those rural people who are living there. Any Government-- I am not referring to the Congress-ruled States or the Opposition-ruled States--when it comes to the question of the development of the rural areas, a lot more has to be done. The UPA Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh, the hon. Minister of Rural Development and the hon. Minister of Panchayati Raj, have been doing a lot in this respect. They have been going around and telling the people and the bureaucrats that the rural development is the real development of this country. We have seen the kind of thrust that has been given by the UPA Government for rural development. Today, on the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram, for 2006-07, the comments have come in all the newspapers that it is a rural-oriented Budget. In the past, two, three years back, when the NDA Government was there, though they have been telling that India is shining, the real India was not shining. Today, the thrust has been given by the Government for the rural development, and I am grateful to the hon. Minister for Rural Development and the hon. Minister for Panchayati Raj, who have been taking a lot of interest, organizing several meetings, and educating the people as far as the rural development is concerned.

Madam, now, I come to the *Bharat Nirman* scheme, which is a very noble scheme. It practically goes into the root cause of the problems facing the rural development. Today, we find that there is a large scale migration of the people from the rural areas to the urban areas. There are several factors which are leading to the migration. One is, the person who has studied in the rural areas, he does not have any employment opportunity for him. Secondly, the land which is held by his parents, is sufficient only for the parents to work in the fields, and he is not having any employment there, and proper facilities are not there.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) in the Chair]

As I have already pointed out, education and health facilities are lacking in the rural areas. Thirdly, people who are living in the rural areas, are coming to the urban areas because, the urban areas are attractive for them because of the availability of infrastructure for them. Therefore, the hon. President of India, whenever he goes out to any State, has been very clearly telling for providing the urban facilities in the rural areas. He has been propagating that all the facilities which are available to the people living in

the urban areas, should also be made available to the people living in the rural areas. Now, under the new scheme, called the *Bharat Nirman,* which is a very ambitious scheme, worth Rs. 1,75,000 crores, we have been telling people that this scheme is going to provide the road facilities in the rural areas, rural electrification, rural health, education in the rural areas and all other facilities for the people living in the rural areas so that the migration can be arrested. We know that this will take time. The hon. Member, Shri Mangani Lal Mandal, was telling this House very clearly that though we have had so many programmes, about 220 schemes are implemented by the Ministry of Rural Development for the development of the rural areas, to improve the lot of the people living below the poverty line, we have not achieved the target. There are so many factors responsible for this. One is, the implementing agencies in the State have to be monitored properly. In the Federal Structure, there are some difficulties also. I agree with you. But, it does not mean that the Central Government should give funds and close its eyes. It should not close its eyes. Yes, you provide funds to them for various schemes, whether it is the Rural Employment Guarantee Scheme, whether it is the housing scheme, whether it is the sanitation scheme, or whether it is the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Scheme. Various schemes are there for which you are providing the money. Where is the monitoring agency? At the State level, it is at the mercy of the collector, or, the DRDA Department in the district. I am not accusing any Government. I want to submit one thing. When I went to the State and inquired about the implementation of various Central Government schemes, I came to know that the money has been sent to the States. I say authoritatively that the Central Government has sent the money to the State. Even though ten months of the current financial year 2005-06 are over, only 25 per cent of the schemes have been implemented. The rural development schemes are not being implemented in some States. I do not want to have any quarrel whether it is a Congress Party ruled State or an opposition party ruled State. That shows how much money given by the Central Government is lying in banks. The real beneficiaries are not getting the benefits. Ten months of the current financial year are over. In March, the financial year is going to conclude. Eleven months are over. When we have a review for ten months, only 25 per cent of the Schemes have been implemented in the States. What is going to happen for the rest of the money? Sir, I would like to caution the Rural Development Minister that money would be diverted to other schemes which have not been sanctioned by the Government of India. What are you going to do? How can we expect the

people living below the poverty line to come up? How can you expect that to happen? Unless and until the money that has been provided for the various schemes, for the purpose of bringing the people above the poverty line is fully utilised, how are you going to achieve the target? When the great leader Indiraji was the Prime Minister of this country, she brought a 20-Point Programme; for its implementation, there was a monitoring authority at the State level, and also at the district level. There were agencies to monitor that. Nowadays, what happens is, when we go to the State, we get so many complaints concerning the implementation of the Rural Employment Guarantee Scheme. Sir, I have another complaint. I gave you only one complaint.

The second complaint is about the National Rural Employment Guarantee Scheme. It is a very marvellous Scheme; it is an innovative Scheme meant for helping the districts wherein the poor people are living. Now, the enumeration is being done, the enrolment is being done. The hon. Minister, the hon. Prime Minister of India, the hon. Chairman, UPA, Madam Gandhi, all went there, to Andhra Pradesh, and inaugurated the Scheme on 2nd February, 2006. The people of this country want to know how it will be successfully implemented. When we go to the State, when we talk to the people, when we talk to the workers, they tell us that this Scheme is implemented in some of the States in a biased manner; the applications of the deserving people are not given for the purpose of enrolling them, for the purpose of giving them the benefit. The Minister will say, "No, it is not within our domain. It is the State Government which is to implement it." Sir, I would like to submit to you that out of the total money provided for this Scheme, 90 per cent you are giving; only 10 per cent is being given by the State Government. The State Government is utilising it for the purpose of achieving their political ends. What they do is they simply put a photograph of the Chief Minister of their State; they are publicising as if the Scheme is being implemented by the State. Yes, it is being implemented by the State Government, but the money is given by the Central Government. Sir, 90 per cent of the total funds are given by the Central Government. I do not want to go to the extent of saying that the Chief Minister's photograph is there; they should, at least, mention in that that the Scheme is being brought by the Central Government. They should mention it. It is not being mentioned. While selecting the beneficiaries, there is a political bias. How can you expect the real beneficiaries to get the advantage under the Scheme? Please tell me what steps you are going to take for implementing the Scheme. The Scheme is going to be

implemented in such a way that only 25 to 30 million people will get the advantage. The real beneficiaries have to get the advantage; that is what we want. That is your intention also. About Rs.25,000 crores are going to be spent, every year, on that. If the money goes to the wrong people, selected by the Government which is in power, and if the real beneficiaries do not get the benefits, how can you expect the people living below the poverty line to come up? What are you going to do to see that the money reaches the real beneficiaries? It is not the hon. Minister who is providing the funds to the States. And watching it from outside is not going to help you at all. Have a machinery. Have a Consultative Council. Have a monitoring machinery. Let it be implemented through a public representative. Have an organisation; have the Members of Parliament and MLAs, irrespective of party lines. And also, public personalities can also be there at the national level, the State level and the district level. They will be monitoring it; otherwise, your scheme will be diluted and you will not be able to achieve the purpose. Therefore, kindly take note of it. There is already a lot of criticism in the States that it is being done in a biased manner; it is being used politically and the deserving people are not getting the benefit. Therefore, I request the hon. Minister to consider this aspect.

Sir, there is one other important thing, that is, the Self-Help Groups; empowering the women. I am very happy that men are also helping them. Banks are supporting them. Today, women are earning on their own. They want to sustain themselves. If they do not have the support of their husband, they are earning on their own and are educating their children. It is a very good thing. Banks are also supporting them. But there is one lacuna here. Through this scheme, you are not only bringing the women together, but also giving them employment opportunities and apart from that you are also empowering the women with money power. There is one important factor here, that is, marketing of products and items which are produced by women. What is happening in the world of electronic media? The multinational companies are giving a lot of publicity to their products. When these women go to the market to sell their products, they suffer a lot. I request the hon. Minister to consider this aspect. Why don't you create an agency at the State level and at the district level for marketing the products manufactured by these women? In this way, you will be creating more employment opportunities in the rural areas. You acquire the products and then distribute them through the State machinery. Like the Khadi Board and the Handloom Board, why don't you

4.00 P.M.

have such an agency in order to help the Self-Help Groups? Now we find that women are getting educated and they are able to do a lot of productive work and are able to sustain their families.

So far as housing is concerned, the Ministry of Rural Development has got several housing schemes for the SC and ST people, for the general category. For fishermen also there is one scheme implemented by the Agriculture Department. Then there is the WAMBAY scheme for the urban people. So, various schemes have been implemented. The Ministry is having a very good scheme for the people in the rural areas. The Ministry should focus more on the housing schemes for the people in rural areas. You will find a lot of huts in villages, especially in the southern part of the country. The hon. Minister of Panchayati Raj also comes from a rural constituency. He knows how many huts are there in the rural areas. He will be able to explain it better than me. Now the Government has got ambitious plan of converting thatched roofing into brick built construction. In Pondicherry, we have already implemented this scheme. There are 50,000 thatched houses in the entire State. We have got an ambitious plan of converting them into brick built houses. We are providing them Rs.60,000 as a grant for constructing these houses....*(Interruptions)*... Soon, it will become a State like Goa. Within five years, we would convert these houses into brick built construction. In other States, it is a little difficult because an enormous amount of money is involved in it. Therefore, I request the hon. Minister to increase the allocation to the housing sector for the purpose of constructing houses for the people living in rural areas. There are other Departments which are giving money for schemes meant for SC and ST people. But for the general category, your Ministry has to provide funds. Sir, the Rural Development Ministry is doing a lot of work in bringing more land under cultivation, more particularly, in the matter of wasteland development and desert land development.There, I find the kind of facilities that are being provided and the infrastructure that is being created by the Ministry. But though we have increased the fund allocation for the purpose of conversion of these lands for cultivation, and we are able to develop the desert land, the desired result is not coming forth. We do find that even in the North-Eastern States, the wasteland development is being done. But we should see the result out of it, and the funds that are being provided to the North-Eastern Region should be compatible with those provided to other regions of the country. We should also see to it that the Wasteland

Development Board does a very good job because it is being done only through the State Government agencies. In States like Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Jharkhand, Bihar, etc., we find that a lot of wastelands are available. Now, the hon. Member, Shri Mandal, has been referring about China. I would like to submit to you that in China, the river water is being utilised for three purposes, even in the rural areas, namely, for drinking purposes, for irrigation and also for transport. In China, they are using the waterways in a bigger way. Sir, he quoted, China has got an ambitious plan to see to it that in five to six years' time, there will not be any people living below-the-poverty-line. India is a developing country, and has been recognised as one of the superpowers. But, when you keep 26 per cent of the population below-the-poverty-line, how can India, especially, the people living in the rural areas, develop? Here, I would say that the Rural Development Ministry, which is the nodal Ministry, a very important Ministry, has to do everything possible to achieve this. I want that the hon. Minister should give a thrust to this issue.

Then, coming to Panchayati Raj, the hon. Minister is a very dynamic Minister; he takes a lot of interest in Panchayati Raj institutions. Sir, this was actually envisaged by our leader, Shri Rajiv Gandhi. Today, 10 lakh women are ruling the Panchayati Institutions, and the credit goes to Shri Mani Shankar Aiyar because he has taken a lot of interest in that. But we have a complaint that in some of the States, the Amendments (the 73rd and the 74th Amendments) and the subsequent guidelines issued by your Ministry are not being strictly followed. This happens especially when the representatives of the Opposition party, and not the party which is in power in the respective State, are occupying position at the Zila Parishads or the Municipalities. The net result is that they are being crippled. The State is not providing them sufficient funds for development activities. I don't want to name the State; if I name it, Mr. Narayanan will quarrel with me. When the powers vested with the Panchayati Institutions, Zila Parishads and other Municipalities are taken over by the State machinery, then, how can we expect that the Panchayati Raj can be strengthened? As Mahatma Gandhi said, India lives in villages. So, the villages have to be strengthened. Infrastructure has to be created in villages. For doing that, the Panchayati Institutions should be strengthened. Unless and until the Panchayati Institutions are effectively and independently functioning, it will be very difficult to achieve the purpose for which they were created. Therefore, Sir, the Panchayati Institutions need to be given more powers; they need financial autonomy, not depending on the Secretary of the State

Government to get the sanction for them. Apart from that, they should also be given a free hand in the implementation of various schemes for developing panchayat and municipal areas. The hon. Minister has been talking about the 18-point agenda for improving the panchayati raj institutions. Hon. Minister, Sir, we are with you and we will be supporting you in your effort to strengthen the panchayati raj institutions, whichever party is there in power. Why panchayati raj institutions should be strengthened is because it is only the elected people in the villages and panchayats who really know the development needs of their area. We all know what happens while planning in States is undertaken. People living in a particular area do not want certain projects. Still, those projects are thrust on them. All this happens because the planning process does not start from the grassroots level, from the village level and from the district level. It is thrust on the States. It is for that very reason that people, ultimately, do not get the real benefit of all these schemes. Sir, the community system in China is very effective. People living in a community sit together and decide what they need for the development of their village or community. Therefore, Sir, we have to really give democratic power to these panchayati raj institutions.

To be frank, Sir, hon. Members of Parliament and Members of Legislatures, actually, do not want power to be given to elected representatives at that level, simply because they want them to always be under their thumbs. Hon. Minister, Sir, please see to it that this power is delegated to them so that they function effectively and efficiently. I am saying this because the real vision of Rajiv Gandhi is yet to be fulfilled by you. Everybody has been questioning why we are giving power to women and they have been saying that we should not do that because women will not be able to function effectively. Today, most of the women are successful. But we are not allowing that to happen even in Legislatures and in Parliament. When we want to give 33 per cent reservation to women, everybody opposes. Some people consider their constituencies as a part of their inherited property. That is the problem. ...*(Interruptions)*... I will speak everywhere, not only in Lok Sabha. Everywhere, I will say the same thing. Thirty-three per cent reservation should be given to women in Assemblies and in Parliament. Why? Fifty per cent of the voters of this country are women.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): लाने में देर कहां हो रही है?

श्री वी० नारायणसामी : आपकी सरकार ने आठ साल तक क्या किया?...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप लाइए ना... आप लाइए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, there are some people who want to scuttle it. But it cannot be scuttled for all times to come. It is going to happen. Like the National Rural Employment Guarantee Scheme which is being implemented in the country, this is also going to happen and 33 per cent reservation to women will be given. And that is going to create another history in this country. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती माया सिंह : 2006 में ही आना चाहिए।

श्री वी0 नारायणसामी : 2006 में आना चाहिए, मणि शंकर जी से कहिए, वे करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. G. NARAYANAN (Tamil Nadu) : Why are you denying it?

SHRI V. NARAYANASAMY: We are not denying it? You know the forces that are opposing it. I don't want to go into the details.

SHRI P. G. NARAYANAN: But we are not opposing it. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Minister, Sir, I request you to give more powers to panchayati raj institutions. Yes, don't blame me for Pondicherry because we have not held elections. We are going to do it in the month of May. That has been decided already. Sir, I am very happy that within two years of UPA Government, enormous funds have been provided for rural development. But, unfortunately, State Governments are not utilising the opportunity for developing their States.

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): पचास साल से कांग्रेस राज करती थी, अभी क्या बोल रहे हो? ...**(व्यवधान)**... सरकार भी तुम्हारी थी। क्या किया पचास साल तुमने गरीबों के लिए? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : ठीक है... ठीक है, बैठिए।

श्री वी0 नारायणसामी : आप गुजरात सरकार से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): You need not reply to that.

श्री जयन्ती लाल बरोट : महात्मा गांधी का नाम आपने कहीं लिया? ...**(व्यवधान)**...

श्री मंगनी लाल मंडल : वहां पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, आपकी सरकार है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Okay. That is all. ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र लाठ : आपने बिहार में करवा दिया ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Narayanasamy, please conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Sir; I am going to conclude. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): There are seven speakers from your party. If you take more time, then, you will be cutting into their time.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as the Rural Development Ministry is concerned, I would like to say that when we go to various States, we find that various schemes are being implemented and the money is being provided by the Central Government. During the time of the NDA Government, we all knew that although the schemes were announced, but funds were not being provided for it. But, now the position is, funds are being given, but the States are not able to implement various schemes. The State Governments should utilise this opportunity, implement the schemes so that the people living below the poverty line can come up. I am happy that the Rural Development Ministry is doing a good job. I want the hon. Minister to carry on with that. I request the hon. Minister for Panchayati Raj to strengthen the Panchayati Raj Institutions. In this effort, we are with you. Sir, I want a categorical reply from the hon. Minister of Rural Development about the proper implementation of the National Rural Employment Guarantee Scheme. With these words, I support the Demands of both the Ministries. Thank you, Sir.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश की 74 प्रतिशत जनता जिन ग्रामों में बसती है, उन ग्रामों के स्वराज्य के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमारे देश के जो दो महत्वपूर्ण मंत्रालय विचार करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, आज उन्हीं मंत्रालयों के कार्य के संबंध में हो रही इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, वास्तव में ये दोनों मंत्रालय, जिनकी चर्चा आज हम यहां कर रहे हैं, आज इन दोनों मंत्रालयों का नेतृत्व, इस सरकार के जो सर्वाधिक dynamic और तेजतर्रार मंत्री कहे जाते हैं, वे कर रहे हैं। वास्तव में पंचायती राज विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हालांकि यह राज्यों का विषय है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के पश्चात, इस मंत्रालय का गठन केन्द्र में भी किया गया और सारे प्रदेशों में इस ग्राम पंचायत की व्यवस्था की देखभाल के

लिए ग्राम-स्वराज्य की दृष्टि से ग्रामों में क्या-क्या किया जाना चाहिए, इसको केन्द्रीय ग्राम पंचायत मंत्रालय देख रहा है। यह बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि अधिकांश प्रदेशों में ग्राम पंचायतों के बारे में कानून बनाए गए थे, लेकिन उन कानूनों पर अमल नहीं होता था और अधिकांश प्रदेशों में तो चुनाव ही नहीं हुआ करते थे। शायद आज भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जहां समय पर इन ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुआ करते हैं, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा सभी प्रदेशों में पंचायतों के विधिवत चुनाव होने प्रारंभ हो गए हैं।

महोदय, हमने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली adopt की है - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन इस चुनाव की पद्धति के बारे में ही सर्वप्रथम मैं एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि संविधान के आर्टिकल 243 में आपने चुनावों को कराने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था, इलेक्शन कमिश्नर की व्यवस्था की है, जिसकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल का अर्थ है कि वह, उस प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है। अधिकांश प्रदेशों में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं, उस प्रदेश सरकार के जो चहेते रिटायर्ड अफसर होते हैं, उनमें से ही उनकी नियुक्ति हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो निष्पक्ष हो, जो उन पंचायती राज संस्थाओं के विषय में कुछ जानकारी रखता हो, उनके बारे में कुछ समझता हो। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वे इस दृष्टि से इस विषय पर विचार करें कि इस नियुक्ति के लिए selection की जो कमेटी बनाई जाए, हमारा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उसका एक प्रतिनिधि उस selection committee में रहे अथवा प्रदेश सरकार ही कोई इस प्रकार की कमेटी का गठन करे, जिसमें केन्द्र की ओर से भी कोई प्रतिनिधि रहे, जो उस प्रदेश के चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए, उसका अप्वाइंटमेंट करने के लिए वहाँ पर काम कर सके।

महोदय, इसमें दूसरी बात यह है कि इनको रिमूव करने के लिए जो प्रावधान है, उसे केवल उस आर्टिकल में ही आपने वर्णित किया है कि वह इम्पीचमेंट के द्वारा होगा, जैसे हाई कोर्ट के जजेज़ की होती है। अब नियुक्ति का अधिकार आपने मंत्रि-परिषद् को दे दिया है और इम्पीचमेंट होती नहीं है। जिस प्रकार से बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव आयुक्त मनमानी कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अधिकांश प्रदेशों में तो इस प्रकार से नियुक्त चुनाव आयुक्त उस प्रदेश सरकार के एक डिपार्टमेंट के रूप में, एक विभाग के रूप में काम कर रहे हैं। जब चुनाव करवाना है, सरकार जब सारा डाटा उनके पास देगी, वे सारी व्यवस्था करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, बाकी काम करेंगे, उसके बाद वह देखेगा कि उसमें पूरा काम हुआ है और उसके बाद नोटिफिकेशन करेगा। लेकिन चूँकि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, मशीनरी सरकारी है, सरकार के जो वहाँ के जिलाधीश हैं, वे सारा मैटेरियल देंगे, सरकार के ही सारे अधिकारी वे मैटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वे ही सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उनके पास कोई मैटेरियल आने के बाद वे अपना नोटिफिकेशन नहीं करते, वरन् बहुत से प्रदेशों में जिस प्रकार से केवल फाइल एक मंत्रालय से, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाती है, उसी प्रकार से चुनाव आयोग में भी जा रही है और उस फाइल पर ही ऑर्डर हो जाते हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि जब हम पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ कहा गया और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी कहा है कि जब

ग्राम स्वराज होगा, तभी देश में असली गणतंत्र हो सकता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली को, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको ठीक प्रकार से ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि इसमें जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का प्रावधान कर रखा है। लेकिन वास्तव में रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, जिन पर मैं आगे बात करूँगा, यह जो तीन स्तरीय प्रणाली है, इन तीनों का, उसमें इन सब का सम्बन्ध होना चाहिए कि हमारे ग्रामीण विकास की दृष्टि से उस पंचायत में, उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में जो सारा का सारा काम होना है और वहाँ पर उन स्कीम्स की, उन योजनाओं की जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, उनमें इन तीनों का भाग रहे। लेकिन अधिकांश प्रदेशों में ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिया गया है कि आपका जो टोटल बजट एलोकेशन है, उसमें 90 प्रतिशत का उपयोग ग्राम पंचायत करेगी, पंचायत समिति 10 प्रतिशत, जिला परिषद् 10 प्रतिशत। बहुत से प्रदेशों में ये जिला परिषद् और पंचायत समिति ठीक से काम नहीं कर पाते। एक प्रकार से केवल जिला परिषद् के चेयरमैन के पास डीआरडीए की एक गाड़ी मिल जाती है और पंचायत समिति के चेयरमैन को तो बीडीओ के रहमोकरम पर रहना पड़ता है, गाड़ी के लिए भी, अन्यथा उनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी शक्ति नहीं है कि वे इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से अपने जिले में करवा सकें।

आपने इसमें एक व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट योजना समिति की भी कर रखी है कि जिला स्तर पर पूरे जिले का नियोजन पंचायती राज संस्थाएँ करेंगी। आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा बनना है, उसमें भी कहा गया है कि जिला स्तर पर जो नियोजन होगा, उसको आधार बनाया जाएगा और उसके लिए एक योजना समिति का गठन होना चाहिए। लेकिन अधिकांश प्रदेशों में, अधिकांश जिलों में योजना समिति नहीं बनाई जाती है, प्लानिंग कमेटीज़ नहीं बनाई जाती हैं। इन समितियों का वहाँ पर गठन ही नहीं होता है। जिला परिषद् की बैठक बिना अधिकारियों की उपस्थिति के होती है, जिला परिषद् में जिले से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं, जिनका रूरल डेवलपमेंट से सम्बन्ध है, चाहे वह सड़कों से सम्बन्धित हो, चाहे वह स्वच्छता से सम्बन्धित हो, चाहे वह हेल्थ प्रॉब्लम से सम्बन्धित विभाग हो, पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, अधिकांश अधिकारी ज़िला परिषद् की बैठकों में जाना उचित नहीं समझते। यदि उस बैठक में उस प्रदेश का कोई मंत्री आ जाए, तो ये अधिकारी पहुँच जाएंगे, अन्यथा वे उन बैठकों में नहीं जाते। उस का परिणाम यह होता है कि जिला परिषद में होने वाली चर्चा का कोई योगदान ग्रामीण डवलपमेंट की दृष्टि से नहीं हो पाता है। महोदय, रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कृषि पर आधारित जो काम होते हैं - वहां अनाज पैदा होता है या बहुत से स्थानों पर फल उत्पादित होते हैं, लेकिन उन को सड़क तक नहीं पहुंचाया जा सकता जिस से वे चीजें मार्केट तक नहीं पहुंच पाती हैं। महोदय, अगर किसी स्थान पर सड़क पहुंच जाती है तो उस के कारण उस क्षेत्र का स्वमेव विकास हो जाता है। इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया। महोदय, पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की गयी। यह पूरी तरह से केन्द्र द्वारा फंडेड योजना है और इस योजना में जहां सड़क बनती है, वह पूरी तरह से पक्की सड़क बनती है और 5 साल तक उस का मेंटेनेंस भी सरकार को करना होता है। इस दृष्टि से यह बहुत अच्छी योजना है। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा व बधाई

भी देना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत इन का बजट एलोकेशन हर साल बढ़ रहा है। इस साल भी बढ़ा है, उस में बहुत स्थानों पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। इस में जिला परिषद के द्वारा कहा जाता है कि वह ग्राम जिस की आबादी 500 या 1000 के बीच में है, वहां यह सड़क बननी चाहिए। वह एक प्रपोजल देते हैं, लेकिन उस प्रपोजल पर जब स्टेट लेवल पर विधायकों के साथ मुख्य मंत्री बातचीत करते हैं या प्लानिंग बोर्ड में विधायकों के साथ बात करते हैं तो जिला परिषद द्वारा अनुमोदित सड़क के स्थान पर, जो सरकार चाहती है, जो वहां के विधायक या सांसद चाहते हैं, वह सड़क आ जाती है और पंचायती राज संस्थाओं का उस में स्थान नहीं रह जाता है। महोदय, ये जो छोटे-छोटे लिंक रोड्स हैं, इन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का योगदान होना चाहिए क्योंकि उन को मालूम है कि किस सड़क की पहले आवश्यकता है, किस स्थान से सड़क बननी चाहिए और कैसा सर्वे होना चाहिए। इस दृष्टि से मेरा निवेदन रहेगा कि आप की ये गाइडलाइंस काफी क्लिअर हैं, लेकिन अधिकांश प्रदेशों में इस का इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने मंत्रालय ग्रहण करने के बाद पूरे देशभर में 7 स्थानों पर मीटिंग्स की हैं। उस की चिट्ठी हमें भी मिली है और उस में आप ने बहुत अच्छी अलग-अलग योजनाएं तय की हैं। आप ने लगभग 150 ऐसे क्षेत्र तय किए हैं जिन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान रहेगा, लेकिन उन का निचले स्तर पर ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे यहां पर कहा जाता है कि महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा जो लोग कहते हैं, वही वास्तव में इसे नहीं करना चाहते हैं। जो लोग पंचायती राज संस्थाओं में बहुत बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि पंचायती राज को, ग्राम स्वराज को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो विधायक और एम0पी0 यह समझता है कि अगर इन लोगों को यह पावर मिल गया तो मेरा क्या स्थान रहेगा? मैं तो सिर्फ ट्रांसफर कराने वाला रह जाऊंगा। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इन में चाहे विधायक हो या जो अन्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन के साथ में जो हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन का भी इस में इनवॉल्वमेंट होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे रूरल डवलपमेंट के जो अधिकांश प्रोजेक्ट्स हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट्स हैं, उन का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन निचले स्तर पर पंचायतें करवा सकती हैं।

महोदय, यहां से ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जाती हैं। उन के लिए पैसा भी केन्द्र द्वारा दिया जाता है। उन में कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार देगी, लेकिन अधिकांश योजनाओं में प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं देती है। वह हिस्सा, जो यहां के उन के ऑफिसर्स हैं, उन के दफ्तर एक प्रकार से ऐसा चित्र बना देते हैं कि यह 25 प्रतिशत हिस्सा हमारा है जो हम इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर के रूप में दे रहे हैं जोकि हर साल दिखाया जाता है। उस में जो बिल्डिंग एक बार बनी है, उस का एक्सपेंडीचर हर साल दिखाया जाता है और वह 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत से प्रदेशों में जहां से 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिलता है तो केन्द्र सरकार अगली किश्तें भी नहीं देती है। यही कारण है, जैसा कि नारायणसामी जी कह रहे थे कि वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से 31 मार्च को पैसा रिलीज करने की हमारी प्रथा चली आ रही है। लेकिन इसमें जो 25 प्रतिशत हिस्सा जमा नहीं होता है, उसके कारण हमारी जो सेन्ट्रल ग्रांट्स हैं, वे भी रिलीज़ नहीं होती हैं। जब ये रिलीज़ नहीं होंगी, पंचायतों को पैसा नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट को पैसा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर जो हमारी योजनाएँ हैं, उनमें भी काम

नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ से ग्राम सड़क योजना के रूप में बहुत सारी योजनाएँ इम्प्लिमेंट कर रखी हैं। हमारे अपने ही प्रदेश के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति-विशेष के टाईम में अनाउंस हो गई थीं और यदि उसको अब बनाया गया, तो क्रेडिट उसको मिलेगा, इसलिए वह सड़क आज तक आगे बनी ही नहीं, वहाँ के विधायक या सांसद या मंत्री ऐसा प्रावधान कर देते हैं। इस दृष्टि से भी केन्द्र की ओर से एक प्रकार की मोनिटरिंग और विजिलेंस होना चाहिए। वह केवल सी0ए0जी0 के ऑडिट के द्वारा या कभी कोई एकाध बैठक में आपके कोई अधिकारी वहाँ चले गए, उसके द्वारा होती है, लेकिन उससे वह एक्च्युअल जानकारी नहीं हो पाती कि निचले स्थान पर क्या हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय, आपने उस क्षेत्र के लोक सभा सांसद की अध्यक्षता में विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटीज़ बनाई हैं। आपने राज्य सभा के एम0पीज़0 को भी उसमें को-चेयरमैन बनाया है। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके धन्यवादी हैं। जो कमेटी पहले बनी थी, उसमें ये नहीं थे, लेकिन जब से आपने कमेटीज़ बनाई हैं, तब से आज तक हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। हम नहीं कहते कि सांसद उन बैठकों में होंगे, तो अच्छा काम होगा, लेकिन क्योंकि केन्द्र से उन प्रदेशों को वह पैसा जा रहा है और केन्द्र सरकार को उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है, तो उसके बारे में उस क्षेत्र के चुने हुए सांसद या विधायक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की है। वे सारी योजनाएँ वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यान्वित नहीं होतीं, बल्कि वे उस जिले के कलेक्टर के द्वारा या उस ब्लॉक के बी0डी0ओ0 के द्वारा कार्यान्वित होती हैं। इस बात की जानकारी ऊपर तक कहीं नहीं मिलती कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक्चुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी वह योजना पूरी हुई है या नहीं हुई है।

मैं समझता हूँ कि जबसे देश आजाद हुआ, उसके बाद से आज तक शायद सभी 10 पंचवर्षीय योजनाएँ निकल गई हैं और बहुत बड़े-बड़े नेता देश के कर्णधार रहे हैं। सभी ने हमेशा ग्रामों को विकसित करने की दिशा में विचार भी किया है और उस दृष्टि से वहाँ पर धन भी मुहैया कराया है, लेकिन वह काम निचले स्तर पर हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसकी प्रोपर जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए आज भी व्यवस्था यह बन रही है कि ग्रामों में 74 प्रतिशत रहने वाले लोग आज वहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाते और इसीलिए ग्रामों से शहरों की ओर उनका पलायन हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रसी है, क्या हम उनके हाथों में ही अपनी सारी-की-सारी आर्थिक संरचना का काम दे देंगे? आपकी ब्लॉक में जो भी योजना है, चाहे वह ग्रामीण सड़क योजना हो या सम्पूर्ण रोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना या इन्दिरा आवास योजना या इससे पहले जवाहर रोज़गार योजना थी, इन सब का काम उस प्रदेश का योजना विभाग देखता है। उसमें एक प्रक्रिया बनाई हुई है कि यह काम योजना विभाग से जिले में जाएगा, जिले के ए0डी0सी0 से ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक में एक जूनियर इंजीनियर होगा, जो वहाँ उस काम को कराएगा। जब उसको हिस्सा मिलेगा, जब उसको कमीशन मिलेगा, तब वह काम की रिपोर्ट देगा कि यह काम पूरा हो गया है। वह आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाकर भेज देगा। इसलिए अगर इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सरकारी स्तर पर भी और जन-प्रतिनिधियों के स्तर पर भी विधिवत्, पूरे तौर से और ठीक प्रकार से नहीं हुई, तो इन योजनाओं से जो विकास होना चाहिए, वह नहीं होगा। आपने इतनी एलोकेशंस की हैं, मैं

समझता हूँ कि शायद इस बार के बजट में डिफेंस से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की हुई है। आपका इस वर्ष का बजट 31 हजार करोड़ रुपए का हुआ है। फिर वही बात आएगी। जैसा हमारे स्व0 प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं एक रुपया देता हूँ, वह 15 पैसा हो जाता है, यह मैंने पढ़ा है। माननीय मंत्री जी आप उठ रहे हैं। आपने कहा है कि उन्होंने यह कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में 85 प्रतिशत लग जाता है, लेकिन एक्चुअल 15 प्रतिशत ही वहाँ पहुँचता है। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे वह भ्रष्टाचार में जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में जाए लेकिन योजना पर तो वास्तविक 15 प्रतिशत ही लगता है और कई बार तो 15 प्रतिशत भी वहां पर काम दिखाई नहीं देता है। हम चाहते हैं कि ग्राम-पंचायतों में काम हो, ग्राम-प्रतिनिधि काम करें, लेकिन उस स्तर पर भी हमारे ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिले के जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं या इसी प्रकार के दूसरे विकास अधिकारी नियुक्त हुए हैं, वहां पर उनके द्वारा ही सारे का सारा कंट्रोल रहता है। इस व्यवस्था के कारण जो पहले स्थिति थी, वही आज चल रही है। जो पंचायती-राज संस्थाएं हैं, उनके लिए आपने डीआरडीए बना रखा है। यह एक सशक्त संस्था है, शायद इसके लिए आपका 230 करोड़ का बजट है, जिसमें 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी और 75 प्रतिशत भारत सरकार का होगा। यह एक शक्तिशाली संस्था है, लेकिन अधिकांश प्रदेशों में यह हो रहा है कि डीआरडीए का चेयरमैन जिला-परिषद का नहीं रहता, बल्कि वह जिलाधीश होगा या जिलाधीश का कोई नॉमिनी होगा और अगर इन संस्थाओं की मीटिंग को प्रीसाइड भी करना है, तो उसे उस क्षेत्र का कोई मंत्री करेगा। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी योजनाओं के माध्यम से जो विकास की दृष्टि से काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हो रहा है। चूंकि हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन में डीआरडीए का योगदान रहता है, इसलिए उसमें हमको, जन-प्रतिनिधियों को शामिल करके इन योजनाओं का संचालन करने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भू-अभिलेख का काम भी होता है, इसके लिए कम्प्युटरीकरण भी हो रहा है। किसी समय हमारे देश में कॉलोनियल रूल था और उस समय राजस्व एकत्रित करने के लिए विदेशियों को इस प्रकार के अधिकारी चाहिए होते थे। तो उन्होंने पटवारी नाम का एक व्यक्ति एपायंट कर दिया। यह पटवारी इतना सशक्त होता था कि उसका बड़े से बड़ा अफसर भी हो और अगर वह कोई डीमार्केशन ले रहा हो, तो उसकी जमीन भी वह किसी और की दिखा सकता था। आज भी उसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आपको कोई अपनी जमीन के पर्चे लेना हों, तो वे पर्चे उससे आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज भी स्थिति यह है कि बहुत सारे प्रदेशों में आपकी गाइडलाइन्स के अनुसार कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनका काम पंचायतों को, पंचायती-राज संस्थाओं को सौंपा गया है। घोषणाएं होती हैं, प्रदेशों में भी मुख्य मंत्री और मंत्री घोषणाएं करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में, एक्चुअल इंपलीमेंटेशन में किसी भी विभाग का काम आज तक पंचायती-राज संस्थाओं को नहीं दिया गया है। अधिकारी पंचायत की सभा में जाएं या न जाएं, यह भी कोई कंपलसरी नहीं है। अधिकांश ग्राम-पंचायतों में आम जनता भी नहीं जाती है और वहां के जो ग्राम-सेवक हैं या पटवारी हैं या इसी प्रकार के हेल्थ से संबंधित लोग हैं, वे भी वहां नहीं जा पाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब ग्राम-पंचायतों को बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, जो रूरल डवलपमेंट मंत्रालय है, इसका बहुत सारा पैसा जो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जाता है, उसमें से 11,000 करोड़ रुपया आपने यह जो नया कानून बनाया है रोजगार गारंटी योजना का, उसके लिए रखा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसमें पहले की जो बहुत सारी योजनाएं थीं, उनको एकत्रित कर दिया गया है और यह काम आपने 200 जिलों में शुरू किया है। स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश में जब यह कार्यक्रम लांच किया गया, तो दो जिले वहां रखे गए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Bhardwaj, your party has been allotted forty-two minutes. Out of this, you have already taken twenty-three minutes. If you take more time, a very little time will be left to your colleagues. So, please, conclude now.

SHRI SURESH BHARDWAJ: Sir, I will just take two to three minutes. सर, मैं कह रहा था कि जब यह रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिले में शुरू किया गया, तो उस क्षेत्र के लोक सभा के प्रतिनिधि, जिन्होंने यहां पर उस अधिनियम की चर्चा पर बोला भी था, रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, उनको उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। इसके बाद चुनाव जिस प्रकार से होता है, चाहे आज तक आईआरडीपी के लिए पात्र व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था, उस आईआरडीपी के चुनाव कराने में भी भेदभाव रहता था। इंदिरा आवास योजना के लिए किस की योजना स्वीकृत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत यह तय करेगी, लेकिन वह भी आपस में गुटबाजी के आधार पर तय हो जाती थी। हालांकि बहुत सारे प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय एक निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में हर साल ग्राम पंचायतों की जो ग्राम सभाएं होती हैं, पूरे ग्राम की सभा, वह हर साल चार बार मिलेगी और उसके लिए महीना और दिन भी तय कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बहुत कम अधिकारी और दूसरे लोग जाते थे। तो मैं कह रहा था कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी उनको दिया, उसमें जो पात्र व्यक्ति चुने जाने हैं, वह काम भी यदि आपने ग्राम पंचायतों को ठीक प्रकार से सौंपा, तो शायद ठीक लोगों को काम मिल सकेगा, लेकिन यदि अधिकारियों द्वारा ही वह काम होना है, तो फिर जिसका टेलिफोन आएगा, उसको काम मिलेगा और जो वहां पर एक्च्युअल व्यक्ति है, जिसको काम जरूर मिलना चाहिए, उसको वह काम नहीं मिल पाएगा।

ग्रामीण स्वच्छता का आपका कार्यक्रम है। इसमें देशभर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम था, लेकिन इतना कम पैसा रखा जाता है कि शौचालय बन नहीं पाते, वह मिसएप्रोप्रिएट हो जाते हैं। उसमें आपने अब कुछ पैसा बढ़ाया है, लेकिन अभी और अधिक पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसलिए इन सारे कार्यक्रमों की दृष्टि से ये दोनों ही विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। बजट की ऐलोकेशन ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन दोनों ही विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं हिन्दुस्तान की जनता के लिए, हिन्दुस्तान की ग्राम व्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसके लिए हिन्दुस्तान का ही मॉडल काफी है, चीन के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। चीन में

मॉडल बहुत फेल हो चुके हैं, कम्यून का उनका मॉडल सफल नहीं हुआ था। नए मॉडल, जब वहां पर सुधार कार्यक्रम शुरु हुआ, उसके बाद आने शुरु हुए हैं, उनको भी आप लीजिए अगर उनमें कोई अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में जो अच्छी बातें हैं, उनको लेकर अगर आप इन दोनों मंत्रालयों का काम बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि ग्राम व्यवस्था भी सुधरेगी और देश में आम ग्रामीण व्यक्ति के विकास में भी वृद्धि होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to participate in this discussion. The departments of Panchayati Raj and the Rural Development cannot be separated from each other. One is dependent on the other, I think so. These departments are working in the basic mass areas, where crores of rural Indian people live. But the point is how to uplift this section of downtrodden people. In the Common Minimum Programme, it is stated about the Panchayati Raj that the UPA Government will ensure that *Gram Sabha* is empowered to emerge as the foundation of the Panchayati Raj. So, *Gram Sabha* is the foundation, which has to be strengthened. And, how it can be done, may emerge out of this discussion.

Sir, ours is a society where there are two classes of people -- 'haves' and 'have nots'. These two classes are diverged classes. These two classes of people pre-existed in the rural areas also. So far as the 'have nots' are concerned, they are afflicted with all sorts of sorrows and difficulties. They are the exploited class.

On the other hand, those who are having money power, they generally have political power also. And, they belong to the category of the exploiting class. This was going on. That is why, since independence there has been a wide gap between men and women, the rich and the poor, and the rural and the urban areas. Now, when we think of empowering all Gram Sabhas, our aim should be to minimise these wide gaps. Sir, Panchayati Raj is an Institution to empower the poor. I told you that political and economic power, both money power and political power is vested with the exploiting class. Now if we can divert that political power to the have-nots, the purpose of Panchayati Raj will be served. Sir, we are doing it in our States. I can give you some examples. In the States of Tripura, West Bengal, and, perhaps, in your State Kerala also, the power is with the people. There is the Government directive -- in a ward, there are about a hundred or two hundred families -- that all of them should be invited

irrespective of party affiliations. They assemble and will give their opinion on the topics. They directly give the opinion. The Controlling Officers take note of these things; about the plans, procedures, beneficiaries etc. The people are directly participating in this. Each and every person has the right to participate. So, empowerment is there. They are enjoying full-fledged democracy. Though Panchayati Raj is there in all other States also, I think, this Gram Sansad is not held everywhere else. By this system of holding the meeting of Gram Sansads, plans are taken up, which go to the Gram Sabha, then, they go to the block, and whole planning of the State is done. In this way, we are working there. Sir, by doing this, we have seen that villages are strengthened. When Panchayat elections are held, it depends on the political parties to see that Class bias also plays a role there. In my State Tripura, in West Bengal and in other States where Left is running the Government, the representatives of working class; farmers, agri-labourers, *beedi* workers, etc. are elected to the Panchyats. That is why, the Panchayat has become a mighty force in the hands of the rural people; the poor people. In this way, we have fought out the vested interests from power in villages. In the villages, the vested interests have been fought out and empowerment of the poor is going on.

Sir, as far as women's reservation is concerned, it is written that 1/3 reservation for women should be there. But, in our States, there are some districts where it has touched 50 per cent. We have given women more reservation than asked for. Though it is 1/3, we have given more reservation. The Panchayat is very important because from the time of birth to that of death, all records are in the Panchayats. All the Departments working in the villages come under the control of the panchayats, directly or indirectly. Our three-tier panchayats control the High Schools also. The High Schools also come under three-tier panchayat system. But the point is this. Here, in the Report, I have seen that about three million Members are elected all over the country. They are being trained. There are panchayat institutions where they are getting training. But what about the training of those who are in the administration? Their mindset has to be changed. It is a main hurdle in the way to progress. Those Members are getting training, but what about those bureaucrats, high and low? Their attitude should be motivated. Their thinking should be motivated. So, all this is required. Sir, the hon. Member, Shri Narayanasamy, pointed out about Self-Help Groups. Excellent works are being done by the women in the Self-Help Groups, but the point is that there are two hurdles. One is, for their produces, there is no market. The other is that the banks

functioning in those areas do not come forward to finance them. There should be some specific instructions from the Government, and, if possible, some enactment may also be made.

Sir, we are discussing the workings of the Rural Development Department at a time when the National Rural Employment Guarantee Act has just been getting implemented. The moment is very important. What I have seen in the Budgetary provision is that the Central outlay is Rs.24025.62 crores. Last year, it was Rs 21334.00 crores. So, there is a marginal increase of about Rs.3,000 crores. I think, for 200 districts where special programmes will be taken up to guarantee employment to the rural people, this fund will not be sufficient. This Government should not be so miser in allocating funds, in stretching out their hands. They should be more generous. And, what happened about the *Sampoorna Gramin Rozgar Yojana* (SGRY)? The hon. Minister is here. Sir, you have curtailed the budgetary provisions. The Food for Work Programme has been abandoned. Where you have to enlarge the benefits, where you have to enlarge the areas of their work, you are minimising. So, the aim and the actual programme do not tally. Therefore, I will urge upon the hon. Minister to see how the allocations could be enhanced and the Food for Work Programme could be restored. Sir, I would like to throw some light on the rural labour scenario. Of the total working force in our country, 44 per cent belong to rural areas. And, out of them, 66 per cent belong to agriculture sector. What is for them in the Economic Survey, we have seen. A male labourer, on an average, earns Rs. 56.53. A female worker earns, on an average, Rs.36.15. In our State, it is around Rs.100/-. It never comes below Rs.75/- and it goes up to Rs.150/- also. The All-India picture is like this. So, how will the economic power come to them?

Sir, as far as the educational scenario is concerned, we have a very disastrous picture in our country because the rural education has to be taken care of by the Ministry of Rural Development and the Panchayati Raj is looking after schooling up to High School. ...*(Time-bell)*... Sir, I will take two-three minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Your party had eleven minutes, and you have already taken twelve minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, so far as the age group between 6-14 is concerned, as per the Economic Review, 20.9 crore children come under this category, and out of them about one crore children do not go to

school. Sir, the number of school going children is about 20 crores. It is at the elementary level. Sir, if we see the picture at the secondary level, we see that the number of children at this level is around 3.5 crores. So, from 20 crores, at the elementary level, this figure has gone down to 3.5 crores at the secondary level. Around 16.5 crores children are missing at the middle school level. They become drop-outs. Sir, if this is the situation, how can you educate the children? At the higher education level, this figure comes to one crore only. So, from 3.5 crores, this figure comes down to one crore only. There also we again find that 2.5 crore children are missing; they have withered away. How can this be stopped?

Sir, my second example relates to the Prime Minister's Rozgar Yojana. In a reply to my question, the hon. Minister gave some facts. The fact is, in the year 2004-05, the number of applications received was 4,91,000 -- I do *not want to go to the exact figures -- and, the sanction was made in favour* of 2,47,000; just 50 per cent, even less than 50 per cent. Sir, when we go to the next year, i.e., 2005-06, we see that the number of applications came down to 2,92,000. So, from 4,91,000, it came down to 2,92,000. So, the number of applications is reduced to ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude. Mr. Sarkar, please conclude. There is time constraint.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am concluding. So, the number of applications has been reduced to half of the previous year. As far as the figure related to the sanctions made is concerned, it came down from 2,47,000 to 80,000 only. So, you can see how disastrous the picture is. Either banks are not sanctioning loans or there may be some mismatch between these two figures. As a result, the rural people are deprived of the benefits of the programme. ...(*Time-bell*)... So, this has to be looked into.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please conclude because Shri Bashistha Narain Singh is waiting. ...(*Interruptions*)...

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I will take only one minute. So, why is this happening? This is happening because the main area of concern is the land. The land is not taken care of. What is the actual figure? ...(*Interruptions*)...

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

SHRI MATILAL SARKAR: One minute, please. Only one minute please.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): He wants only five minutes. Otherwise, he will not be able to speak. ...*(Interruptions)*... Okay; one minute

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I will take only one minute. ...*(Interruptions)*... I am concluding. Sir, on this point, I will conclude. As far as the figure of surplus land in the country is concerned, it has risen to 6.3 crore acres. This is the figure of surplus land. Sir, in our country, the figure of agricultural labourers is eleven crores. We can easily distribute this land among them. The process of land reform has been completed in West Bengal; this has been completed in Kerala; this has been completed in Tripura also. This is the position about these three States. But what is the position in other States? ...*(Time-bell)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): That is enough. That is enough. Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: If this surplus land issue is not taken into consideration, all other programmes will fail. So, this has to be taken greatly care of. Thank you,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, the next speaker is Dr. Malaisamy. But since Shri Bashisht Narayan Singh would not be coming on Monday, he has made a special request for permission to speak. There are only five minutes left. If you allow him those five minutes, you can speak on Monday. It is his request. He would take only five minutes. Anyway, you want more time and your party has more time. Your party has eleven minutes. You could anyway not speak now because we are discussing this only up to 5.00 p.m., the rest will be taken up on Monday. So, let him use those five minutes.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu) : Sir, I shall take my turn on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Yes. You would get eleven minutes, the full time and even more. Mr. Bashisht Narayan Singh.

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों मंत्रियों को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इधर ग्रामीण विकास विभाग में काफी पैसा आबंटित हुआ है और पंचायती राज के मंत्री ने भी, पंचायतें अधिकार सम्पन्न हों और विकास करें, इसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचा है और उधर आगे बढ़ने का काम किया है। महोदय, योजनाएं तो पहले भी बनी हैं, पैसे भी ग्रामीण स्तर पर बहुत आबंटित हुए हैं, लेकिन कार्यान्वयन की त्रुटी के चलते उसके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए देश दो भागों में बंट गया है - एक शहरों कीदुनिया

5.00 P.M.

है, दूसरी गांवों की दुनिया है। जहां एक ओर इंटरनेट और कम्प्यूटर्स हैं, फव्वारे हैं, अच्छी सड़कें हैं तो दूसरी ओर जीर्ण-शीर्ण सड़कें हैं, स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं और जहां पर शिक्षक हैं, वहां पर स्कूल के लिए भवन नहीं है। ऐसी हालत में कौन से तौर-तरीके अपनाने चाहिए, इस पर विभाग को बात करनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी मान्यता है कि केन्द्रीय सरकार की जो भी योजनाएं हैं, यदि उन योजनाओं का भी कार्यान्वयन ठीक से हो जाए, तो पंचायतों के काम बहुत हल्के हो जाएंगे। भारत निर्माण की योजना अभी चल रही है और उसमें 7 समभाग निर्धारित किए गए हैं - सिंचाई है, जल आपूर्ति है, सड़क है, बिजली है, आवास है, टेलीफोन है और शिक्षा विभाग है। इन सातों समभागों में यदि पैसे अच्छे ढंग से खर्च कर दिए जाएं तो गांवों की पंचायतों के काम बहुत आसान हो जाएंगे लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। इसके दो ही कारण हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने का जो मॉनिटरिंग सिस्टम अभी तक रहा है, वह सफल नहीं हुआ है। इसलिए एहतियात के तौर पर पंचायती राज मंत्री को, इस व्यवस्था को, राज्य सरकारों से भी मिल करके यह तय करना पड़ेगा कि जो फंड जाता है, समय पर समयबद्ध योजना के अनुसार वह पूरा होता है या नहीं और पैसे का सदुपयोग होता है या नहीं। इसी पर निर्भर करता है कि पंचायती राज को आप जो फंड देंगे, पंचायती राज को आप जो विकास का अधिकार देंगे, उसका कार्यान्वयन ठीक से हो पाएगा। इसलिए योजनाओं को ठीक से पूरा करने की जरूरत है क्योंकि गांवों की कई समस्याएं हैं। सर, एक और बात महत्वपूर्ण है। केवल रोजगार दे देने से यदि गांवों की समस्या का निदान हो जाता तो बहुत से कार्यक्रम चलाए गए थे। जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, छोटी जोत से अधिक उत्पादन और एक परिवार अधिक से अधिक दिन तक सेल्फ सफिशिएंट जब तक नहीं हो सकेगा, जब तक केन्द्र सरकार की ऐसी योजना नहीं बनेगी, तब तक कोई गांव सम्पन्न नहीं हो सकता है। हमारा कहना है कि नौकरशाही, जो केन्द्रीय योजनाओं को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका अपना रही है, उसको दुरुस्त करने का काम, उनको उत्तरदायी बनाने का काम जब तक नहीं होगा, आरामदेह दफ्तरों से निकलकर गांवों के प्रतिनिधियों से बात करने की प्रवृत्ति जब तक उसके अंदर नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक इन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। मेरी मान्यता है कि जैसे तेल की घानी का सवाल है, मुर्गी पालन का सवाल है, दूध के उत्पादन का सवाल है, वृक्षारोपण का सवाल है, गांव में आहड़-पोखर की मरम्मत का सवाल है, गांव में आसान शर्तों पर ऋण लेने की बात है, इन सारी योजनाओं को यदि गांव में कार्यान्वित किया जाता है तो निश्चित रूप से गांव के विकास में न केवल केन्द्रीय योजनाओं का योगदान ज्यादा हो सकता है बल्कि ये योजनाएं बढ़ेंगी। महोदय, अंत में, चूंकि आपने जो समय दिया है, उसी में अपनी बात करना चाहता हूं, सब कुछ कहने के बाद भी यदि पंचायतों के रीप्रेजेंटेटिव करेक्टर नहीं बदलते हैं तो विकास का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व, अत्यंत पिछड़ों को उचित प्रतिनिधित्व और इस सिलसिले में बिहार में सरकार आते-आते नीतीश कुमार जी ने जो प्रशंसनीय काम किया है, उससे बिहार में विकास को काफी बल मिलेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): The discussion on the working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development will continue on Monday, the 20th March, 2006.

We will now take up Half-an-Hour discussion. Shri Shantaram Laxman Naik to initiate the discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of the answer given on the 2nd March, 2006 to Unstarred Question No.1061 regarding 'Panchayat Elections'

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I had asked an Unstarred Question No.1061 which was answered by the hon. Minister on 2nd March, 2006. The question was: Whether the Government are discouraging the introduction of two-child norm for candidates contesting Panchayat elections. The answer was: 'Yes, Sir.' The (b) part was: Whether the Government have officially advised the State Governments to this effect. The (c) part was: The States that have introduced the provisions in their Panchayat Laws. The (d) part was: The States which have deleted the provision after its introduction in respective legislation, and (e) whether the Government proposes to ban such introduction of two-child norm by Constitutional Amendment. The answer to (c) (d) and (e) are as follows: As per the information available, the States that have introduced this provision in their Panchayat Laws are Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa, Maharashtra and Chhattisgarh. The State of Himachal Pradesh has deleted the provision after its introduction in its legislation. Madhya Pradesh has announced its intention of doing so. Haryana has the matter under review, and on whether the Government proposes to have a constitutional amendment, the answer is 'No, Sir.' Now, in view of this, Sir, Parliament by introducing the 73rd Constitutional Amendment Act has given a place of honour to the Panchayat which hitherto the Panchayat did not have. Accordingly, various State Governments have enacted their legislations for the purpose of governance of Panchayats in their respective States. The Constitution under Article 243 (c) has prescribed a Schedule, namely, Schedule XI to the Constitution. This Schedule XI specifies powers which the State Governments by various legislations have to give to the Panchayat. Now, there are involved 29 very, very wide powers. It is the duty of the State Governments to confer these powers upon the Panchayat. Now, without doing this primary job of allocating powers to the Panchayat -- and how they have done till today, may I say, Sir - these 29 powers have been bifurcated into three groups in the respective Schedules